

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 48/2015

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारों जयें जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारों
(सायल)

बनाम

जसराज पुत्र श्रवणलाल जाति गुर्जर निवासी सुसावन बारों जिला बारों
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी (सायल)
2- श्री पिकेश जगरवाल अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 18.10.2021

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल जसराज पुत्र श्रवणलाल जाति गुर्जर निवासी सुसावन बारों जिला बारों के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बारों द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारों ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारों को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली बारों क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने, अवैध शराब एवं मारपीट के अपराधों का आदि है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारों में वर्ष 1991 से 2015 तक की अवधि में कुल 19 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (4) धारा 19/54 एक्सआइज एक्ट (1) भादस (13) धारा 110 जा0फो0 (1) के तहत दर्ज हुये हैं। जिनमे से 09 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (3) मारपीट (5) अवैध शराब (1) के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी हैं तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 09 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 25.08.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ज्य सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ज्य अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर गैरसायल का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारों में वर्ष 1991 से 2015 तक की अवधि में कुल 19 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (4) धारा 19/54 एक्साइज एक्ट (1) भादस (13) धारा 110 जा0फो0 (1) के तहत दर्ज हुये है। जिनमे से 09 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (3) मारपीट (5) अवैध शराब (1) के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसायल द्वारा जर्ज्य अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर दौराने बहस निवेदन किया गया कि गैरसायल के विरुद्ध वर्ष 1991 से 2015 तक की अवधि में कुल 19 प्रकरण पुराने थाने मे दर्ज है, जिनमे से भी 09 प्रकरणो का न्यायालय से निस्तारण हो चुका है वर्तमान मे कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल अपने परिवार के साथ मेहनत मजदूरी कर परिवार का शांतिपूर्वक पालन पोषण कर रहा है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारों द्वारा गुण्डा एक्ट का इस्तगासा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारों में वर्ष 1991 से 2015 तक की अवधि में कुल 19 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (4) धारा 19/54 एक्साइज एक्ट (1) भादस (13) धारा 110 जा0फो0 (1) के तहत दर्ज हुये है। जिनमे से 09 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (3) मारपीट (5) अवैध शराब (1) के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि जसराज पुत्र श्रवणलाल जाति गुर्जर निवासी सुसावन बारों जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 09 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल जसराज पुत्र श्रवणलाल जाति गुर्जर निवासी सुसावन बारों जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारों जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारों से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल जसराज पुत्र श्रवणलाल जाति गुर्जर निवासी सुसावन बारों जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली बारों जिला बारों क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, किशनगंज जिला बारों को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 03.11.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारों एवं थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारों को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारों जिला बारों को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली बारों जिला बारों क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारों के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **18.10.2021** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों